भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 581

जिसका उत्तर 22 जुलाई, 2026 को दिया जाना है

बीसीसीएल केंद्रीय अस्पताल का उन्नयन

581. श्री दुलू महतो:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस आशय की कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि धनबाद स्थित भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) का केंद्रीय अस्पताल एकमात्र रेफरल केंद्र होने के कारण मरीजों को निजी कॉर्पोरेट अस्पतालों में प्रति मरीज 10 से 50 लाख रुपये का वित्तीय बोझ उठाना पड़ रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कोल इंडिया की स्वास्थ्य अवसंरचना नीति के अंतर्गत इस अस्पताल को अत्याधुनिक तृतीयक देखभाल विशेषज्ञों से सुसज्जित कर इसे पुनः एक सुपर स्पेशलिटी हब के रूप में उन्नत करने की कोई समयबद्ध कार्ययोजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खननजनित गैस और धूल प्रदूषण से प्रभावित धनबाद के प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जय) के लाभार्थियों के लिए बीसीसीएल के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कोष के माध्यम से बिना किसी लाभ-हानि के आधार पर रियायती उपचार सुनिश्चित किए जाने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा बीसीसीएल के क्षेत्रीय अस्पतालों में अवसंरचनात्मक कमियों को दूर करने, पूंजीगत व्यय में वृद्धि करने और बिना चिकित्सा सुविधा बाले खनन समूहों में नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने के लिए क्या नीतिगत पहल की जा रही है?

उत्तर

कोयला और खान राज्य मंत्री

(श्री सतीश चन्द्र दुबे)

(क) : धनबाद स्थित भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) केन्द्रीय अस्पताल का एकमात्र रेफरल केन्द्र होने के कारण निजी अस्पतालों में रोगियों द्वारा वहन किए जाने वाले वित्तीय बोझ के संबंध में सरकार को कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। बीसीसीएल सेंट्रल हॉस्पिटल मल्टी-

स्पेशलिटी हेल्थकेयर सेवाएं प्रदान करता है। तथापि, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और एंडोक्राइनोलॉजी जैसे सुपर- स्पेशलिटी उपचार की आवश्यकता वाले रोगियों को देश भर में सीआईएल-पैनल में शामिल अस्पतालों में रेफर किया जाता है और उनका व्यय कंपनी द्वारा लागू स्कीम के अनुसार वहन किया जा रहा है।

(ख) : धनबाद स्थित केन्द्रीय अस्पताल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल नहीं है। हालांकि, यह अस्पताल मूल चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करता है।

(ग) : धूल प्रदूषण और खान से उत्पन्न गैस से प्रभावित खनन प्रचालन के कमान क्षेत्र के लोग निशुल्क/सब्सिडी प्राप्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। इस स्तर पर, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) फंड को प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) में शामिल करने की कोई स्कीम नहीं है। इसके अलावा, ये चिकित्सा सुविधाएं केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) की दरों से कम पर प्रदान की जा रही हैं।

(घ) : कोयला खनन समूहों में सरकार चिकित्सा अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए समय-समय पर नीतिगत पहल करती है। तथापि, सार्वजनिक क्षेत्र के कोयला उपक्रम (पीएसयू) अपने कमान क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, बीसीसीएल में क्षेत्रीय अस्पतालों और औषधालयों का चिकित्सा उपकरणों, एम्बुलेंसों, जीवन रक्षक औषधियों सहित आवश्यक औषधियों आदि के साथ उन्नयन किया जा रहा है। इसके अलावा, भारत सरकार द्वारा स्थापित मानदंडों और उद्देश्यों का अनुपालन करते हुए अपेक्षित चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए विशेषज्ञों, स्टाफ नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ सहित डाक्टरों को तैनात किया गया है। इसके अलावा, बीसीसीएल के क्षेत्रीय अस्पतालों के माध्यम से धनबाद में स्वास्थ्य सुविधाएं देना सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रीय अस्पतालों में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम (ईसीजी) मशीनों, सेमी-ऑटोमैटिक ब्लड एनालाइजर का उपयोग किया जा रहा है।
